

# फर्दअहकाम

(नियम 15)

दालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करोली)

सुलेमान आदिबनाम विलीप सिंह वगैर

दमा दावा वावत घोषणा स्वातेदारी, हुकम इन्तगार्द दवाभी  
 नं. --- 25 --- सन् 2007

ब हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी वकील श्री सुनील कुमार जिंदल उडकोकेट  
 ने दावा वावत घोषणा स्वातेदारी, हुकम इन्तगार्द दवाभी  
 पेश किया गया. रिपोर्ट का अपलोकन किया गया अतः  
 दावा दर्ज रजिस्टर लेकर सम्मन जारीवादीगण को  
 जारी है/ पत्रावली दिनांक 22/3/07 को पेश है।

उपजिला कलेक्टर

टोडाभीम (करोली)

22/3/07

वादी वकील उपस्थित। पालीवादी नं. 3 को  
 और से वावतुद नामील कोई उपस्थित नहीं  
 पालीवादी सं. 1, 2 के सम्मन नामील लेकर  
 प्राप्त नहीं हुए। पालीवादी नं. 3 के विरुद्ध  
 एक पक्षीय कार्यवाही विमल में लाई जा रही है।  
 इन्तगार्द नामील पालीवादी नं. 1, 2 दिनांक  
 4/4/07 को पेश है।

4/4/07

वादी वकील उपस्थित। पालीवादी सं. 1, 2 को नामील  
 जारी चम्पावती सुले वकालत पर ले चुकी है।  
 वावतुद सुचना उपस्थित नहीं इसलिए उनके  
 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही विमल में लाई  
 जा रही है। वास्तव साक्ष्यवादी सं. 19/4/07 को  
 पेश है।

19/4/07

वादी वकील उपस्थित। पालीवादी नं. 1, 2 को  
 और से अ.प.न. 0.9 R.7 CPC में जारी



दिनांक	फर्द अहकाम
26 <sup>2</sup> / <sub>24</sub>	<p>वादी वकील/वकील उमर पक्ष प्राप्त पीठसीन अधिकां. रावकार से मांगी पदारे हु                      पत्रावली गतानुसार दिनांक 21.8.24 को पेश हो।                      [Signature]</p>
	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक 21.8.24 को पेश हो।                      [Signature]</p>
28 <sup>8</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी दुष वादी वकील कोर्टी उपस्थित नहीं हुआ। वार-वार वादी कोर्टी गड़ी। इसके उपरांत भी कोर्टी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए वादी का द्वारा वादी की काठम पेश की बडम दायिरी के खार्ज किया जा रहा है। पत्रावली पेश कर्माट घेन नम्बर से कम का दाखिल हुए।                      (5)</p>

न्यायालय उपखण्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-कर्नाटक